<u>स्वचालित कम्बाइन हार्वेस्टर के वित्तपोषण हेतु योजना</u>

उद्देश्य: कम्बाइन हार्वेस्टर की खरीद के वित्तपोषण के लिए ऋण दिया जाता है।

पात्रता:

किसानों के मामले में: आवेदक कम्बाइन हार्वेस्टर की उचित देख-रेख करने और चलाने में सक्षम होना चाहिए अथवा इसके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

किसानों के अलावा अन्य व्यक्तियों के मामले में: आवेदक को तकनीकी रूप से इतना पर्याप्त कौशल और प्रबंधकीय योग्यता होनी चाहिए कि उसे पता हो कि इन कस्टम सेवा इकाइयों को कैसे चलाना है।

राज्य कृषि फार्म / निगमों के मामले में: भूमि विकास गतिविधियों में लगे हुए राज्य कृषि फार्म/ निगमों के पास कम्बाइन हार्वेस्टर को चलाने और रख-रखाव के लिए पर्याप्त संसाधन और नियंत्रण क्षेत्र होना चाहिए।

ऋण की सीमा: आवश्यकता आधारित।

ऋण की अदायगी: छमाही/ वार्षिक किश्तों में **5-7** वर्ष